न्यायालय, उपायुक्त-सह जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या 61/2023

राज्य

बनाम

मुकेश कुमार सोनी

-: आदेश :-

3/11

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 1021/अप0शा0 दिनांक 09.05.2023 से बालूमाथ थाना काण्ड संख्या 34/2023 दिनांक–24.02.2023 में जप्त वाहन को राजसात की कार्रवाई हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रारम्भ किया गया।

यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–34/2023 दिनांक–24.02 2023 से संबंधित है।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." एवं नियम 9 (i) में उल्लेखित है कि No person shall transport or otherwise remove or carry away any mineral from any place without obtaining a transport challan duly generated through JIMMS.

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि सहायक सुरक्षा अवर निरीक्षक, मगध कोल परियोजना, सूर्यदेव रविदास के आवेदन के आधार पर बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–34/2023 दिनांक–24.02.2023 दर्ज किया गया। आवेदन में उल्लेखित है कि दिनांक 23.02.2023 को समय करीब 18:00 बजे गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि एक डाला ट्रक रजि0 नं0 CG07NA-4537 मगध कोल परियोजना के कांटा घर सं0–16 से फाईनल कांटा कराने के बाद चोरी के नियत से कांटा घर संख्या–16 से थोड़ा आगे जाकर ट्रक के चालक से कोयले से संबंधित

कोयला से संबंधित कागजात प्रस्तु

कागजात की मांग किया तो चालक द्वारा किया तो कुल-35 टन 860 कि0ग्रा0 था, किया। जिसके कागजात का जांच किया तो कुल-35 टन 860 कि0ग्रा0 था, किया। जिसके बाद उक्त ट्रक को उसी कांटा घर संख्या-16 में दुबारा वजन कराया गया तो कुल वजन 37 टन 250 कि0ग्रा0 पाया गया, जो पेपर से 01 टन 390 कि0ग्रा0 कोयला अतिरिक्त पाया गया, जो पेपर से 01 टन 390 कि0ग्रा0 कोयला अतिरिक्त पाया गया। कांटाघर संख्या-16 का कांटाबाबु द्वारा दुबारा वजन का प्रमाण-पत्र लिया गया। ट्रक चालक के नाम पता पूछने पर अपना नाम संजित सिंह, पिता-स्व0 विनोद सिंह, ग्राम-लेम, पो0-कमता, थाना+जिला-चतरा बताया। उसके बाद उपरोक्त ट्रक रजि0 सं0-CG07NA-4537 एवं ट्रक के चालक संजित सिंह का एक स्क्रिनटच मोबाईल को लेकर अमरवाडीह पुलिस पिकेट पहूंचे एवं ट्रक रजि0 सं0-CG07NA-4537 व कोयला से संबंधित कागजात एवं ट्रक के चालक का मोबाईल को अमरवाडीह पुलिस पिकेट प्रभारी प्रेम कुमार निषाद को प्रस्तूति सह जप्ती सूची बनाकर सूपुर्द किया गया। काण्ड में जप्त ट्रक रजि0 नं0-CG07NA-4537 के मालिक का नाम पता सत्यापन प्रतिवेदन से ज्ञात हुआ कि जप्त ट्रक रजि0 नं0-CG07NA-4537, चेसीस नं0-MAT466375B5C05232 के मालिक मुकेश कुमार सोनी, पिता-रामेश्वर सोनी, ग्राम-बालूमाथ थाना-बालूमाथ, जिला-लातेहार है। जप्त ट्रक रजि0 नं0-CG07NA-4537, चेसीस नं0-MAT466375B5C05232 एवं उसपर लदे कोयला 26.130 टन के विरूद्ध राजसात की कार्रवाई किया जाय।

उत्तरवादी द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया है, जिसमे कहा गया है कि उत्तरवादी के विरूद्ध दर्ज बालूमाथ थाना काण्ड संख्या-34 / 2023 धारा-379 / 414 भा0द0वि0, धारा-21 एम0एम0डी0आर0 एक्ट, धारा-30(ii) कोल माइन्स एक्ट एवं 13 जे0एम0 रूल 2017 में Anticipatory Bail Application No. 3735/2023 माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रांची में दाखिल किया गया था, जिसे दिनांक 03.07.2023 को मंजूर कर लिया गया है तथा अपना जमानत बॉन्ड सी0जी0एम0, लातेहार के न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है। विपक्षी के द्वारा किसी भी न्यायालय में ट्रक विमुक्ति के संबंध में कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। विपक्षी ही बालूमाथ थाना काण्ड संख्या-34 / 2023 में जप्त वाहन रजि0 नं0-CG07NA-4537 का असली मालिक है। उक्त वाहन में मगध कोल परियोजना से कुल 24.74 मैट्रिक टन

कोयला लदा हुआ था, जिसका निकासी बिल नं0-441316297805 दिनांक 23.02.2023 समय 05.24 बजे अपराह्न तथा वैधता दिनांक 24.02.2023 तक थी। उक्त कोयला को डुमरिया, बिहार पहुंचाना था। ट्रक मालिक के पास सभी संबंधित वैद्य कागजात यथा-टैक्स इन्वोईस, निकासी बिल, प्रदूषण बिल, खनन बिल, Wait Sleep, ट्रान्सपोर्ट चालान एवं सी0सी0एल0 चालान की छायाप्रति है। यह राजसात वाद अतिरिक्त 1 टन 390 किलो कोयला अवैध अधिभार के संबंध में दायर किया गया है, जो वर्षा के कारण बढ गई थी। ट्रक मालिक के विरूद्ध कोई भी अपराधिक मामला किसी भी थाने में दर्ज नहीं है एवं उक्त ट्रक एक व्यवसायिक वाहन है, जो वर्तमान में बालूमाथ थाना में खडा है। विपक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि अतिरिक्त 1 टन 390 किलो अधिभार के लिए वह जुर्माना राशि भरने के लिए सहमत है।

विपक्षी द्वारा दाखिल जवाब के आलोक में कार्यालय पत्रांक 1005/विधि दिनांक 18.07.2023 द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, लातेहार से माह फरवरी 2018 का दैनिक वर्षापात प्रतिवेदन की मांग की गयी। उक्त आलोक में अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी (सामान्य), लातेहार के पत्रांक 472 दिनांक 22.07. 2023 से माह फरवरी 2023 का दैनिक वर्षापात प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध दैनिक वर्षापात प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 23.02.2023 को लातेहार जिले के किसी भी प्रखण्ड में वर्षा नहीं हुई है।

दिनांक 17.10.2023 को विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया कि दिनांक 23.02.2023 को लातेहार जिला के किसी भी प्रखण्ड में वर्षा नहीं हुआ है। बालूमाथ थाना काण्ड संख्या-34/2023 में जप्त ट्रक रजि0 नं0-CG07NA-4537, चेसीस नं0-MAT466375B5C05232 के बचाव के लिए अतिरिक्त 1 टन 390 किलो0 कोयला अधिभार को वर्षा से बढ जाने के लिए गलत तथ्य प्रस्तुत किया गया है। उक्त गलत तथ्य को क्षमा करते हुए अतिरिक्त 1 टन 390 किलो0 कोयला अधिभार का जुर्माना राशि जमा लेते हुए वाहन को मुक्त किया जाय, ताकि विपक्षी के परिवार का भरण-पोषण के लिए व्यवसाय पुनः सूचारू रूप से प्रारम्भ हो सके। विपक्षी इस तरह का पुनरावृति भविष्य में नहीं करेंगे।

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि जप्त ट्रक रजि0 नं0-CG07NA-4537, चेसीस नं0-MAT466375B5C05232 के द्वारा अवैध

अतिरिक्त 1 टन 390 किलोग्राम कोयला का परिवहन किया गया है तथा [illegible] कोयला का अतिरिक्त [illegible] नवनीत [illegible] वाद वस्तु का [illegible] गुनाह करने का [illegible] किया गया । [illegible] द्वारा [illegible] गुनाह करने का प्रयास किया गया है जिसके वाद वस्तु का [illegible] को गुनाह करने का प्रयास किया गया है [illegible] रुपये सरकारी कोष लिए अर्थ दण्ड के रूप में मो०– 300000/– (तीन लाख) रुपये सरकारी कोष में जमा किये जाने के उपरान्त जब्त ट्रक रजि० नं०–CG07NA-4537 चेसिस नं०–MAT466375850C05232 को मुक्त किया जाता है तथा उक्त परिवहन किये जा रहे अतिरिक्त 1 टन 390 किलोग्राम कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार अर्थ दण्ड की राशि मो०– 300000/– (तीन लाख) रुपये सरकारी कोष में जमा करने तथा अतिरिक्त 1 टन 390 किलोग्राम कोयला का नियमानुसार राजसात का प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

आदेश की प्रति जिसकी थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, लोक अभियोजक, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.09.20 16:38:09 +05:30
Location: 192.168.164.143